	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.8.19	आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की पुनः एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.8.19 को पेश हो।	
21-8-19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन पदाधि. उप. PO SDO बून्दी राजस्व मीटिंग में बून्दी पधारे हो वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28-8-19 को पेश हो।	
28-8-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 69/2014 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 12.11.2014 — गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. सतपाल आत्मज श्री रतिराम जाति जाट निवासी 198 गांव सनोट नरेला दिल्ली।

– वादीगण –

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज श्री चतुर्भूज जाति कीर निवासी ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. नारायण आत्मज श्री चतुर्भूज जाति कीर निवासी ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. फोरू लाल श्री चतुर्भूज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. मुकेश आत्मज श्री चतुर्भूज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. मन्जू बाई पुत्री श्री चतुर्भज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. राजेश बाई पुत्री चतुर्भज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. भूली बाई बैवा श्री चतुर्भज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
8. कल्याण आत्मज छीतर जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
9. छोटू लाल आत्मज छीतर जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
10. मथुरा आत्मज चमना जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
11. बैंक आफ बडौदा शाखा लाखेरी जर्ये शाखा प्रबन्धक तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
12. उप–पंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय उप–तहसील लाखेरी
13. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी (राज.)
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

– प्रतिवादीगण –

Scanned by CamScanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188
आर.टी.एक्ट.
वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा०दी०

निर्णय

दिनांक :– 28.08.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी सम्वंत 2067 से 2070 तक वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की केवट खतोनी संख्या नई–11, पुरानी 10 की कृषि भूमि खसरा नं॰ 23 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.41 हैक्टर खसरा संख्या 312 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा संख्या 376 रकबा 1.62 हैक्टर, कुल किता 4, कुल रकबा 4.24 हैक्टर स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 चतुर्भज के वारिसान है तथा चतुर्भज की मृत्यु आज से करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी जिसके कारण चतुर्भज के हिस्से की आराजी पर उसके वैध वारिसान/कब्जा काश्त चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को अपने पारिवारिक खर्चो की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने अपने पूर्वज चतुर्भज के हिस्से की निहित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 9 के साथ मिलकर 3,00,000/– रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये प्रतिफल की ऐवज में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने विवादित आराजी में निहित हिस्सा 2/3 की कृषि भूमि का विक्रय वादी के पक्ष में दिनांक 7.8.2009 को किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा वादी के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन रूबरू गवाहान किया जाकर रूबरू गवाहान वादी के एक मुश्त प्रतिमल राशि 3,00,000/– रूपये नकद प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 7.8.2009 को वादी के पक्ष में रूबरू गवाहान नियामानुसार उपपंजीयन इन्द्रगढ से करवाया जाकर विक्रय शुदा कृषि भूमि का कब्जा रूबरू गवाहान भौतिक रूप से वादी को सिपुर्द किया गया था तब से ही वादी वाद विनयक आराजी पर बतौर सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है और वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 बतौर सहखातेदार के रूप में विवादित आराजी पर काबिज काश्त रहते हुये गत कृषि वर्ष सम्वंत 2068 से 2070 तक में खरीफ की फसलों में सोयबीन, तिल व रबी की फसलों में सरसों की फसल बोई गई एवं कांटी गई इस प्रकार वादी बतौर सहखातेदार के रूप में वाद विषयक आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा अपने खातेदार अधिकार व स्वामित्व का हस्तान्तरण जर्ये रजि॰ विक्रय पत्र दिनांक 7.8.2009 से वादी के पक्ष में रूबरू गवाहान विक्रय शुदा भूमि का कब्जा वादी को रूबरू गवाहान संभला दिया गया था जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(7) के तहत् पूर्णतया समाप्त हो चुके है और जो अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को विवादित आराजी बाबत् प्राप्त थे वे सब अधिकार वादी को प्राप्त हो गये है जिसके कारण वादी रजि॰ विक्रय पत्र दिनांक 7.8.2009 के आधार पर वाद विषयक आराजी का बतौर सहखातेदार कृषक स्वतः ही बन गया है यहां उल्लेखित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा वाद विषयक आराजी बाबत् रजि॰ विक्रय पत्र का पंजीयन वादी के पक्ष में करवाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का वाद विषयक आराजी के किसी भी भू–भाग पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा और न ही वर्तमान मे है। वाद विषयक आराजी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

के राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वाद विषयक भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी अंकित होने का नाजायज लाभ उठाकर वादी को वाद विषयक भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। और अन्त मे निवेदन किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम विलोपित किया जाकर वादी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बतौर सहखातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 व 14 बावजूद सूचना के अनपुस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 को काफी अवसर दिये जाने पश्चात भी कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। वादी की और से अपने साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लू 1 पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2009 प्रदर्श 3 पेश किये।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा दिनांक 07.08.2009 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नं0 312 रकबा 1.42 है. खसरा नं0 376 रकबा 1.62 है. किता 2 कुल रकबा 3.04 है. वाके ग्राम पचीपला में स्थित कृषि भूमि का बेचान वादी के पक्ष में किया जाकर वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया था। लेकिन राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों द्वारा वादी के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज नही किया गया। वादी कयशुदा कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2009 से कय की गई कृषि भूमि बाबत अधिकार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2009 प्रदर्श 3 का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा खसरा संख्या 312 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा संख्या 376 रकबा 1.62 हैक्टर, कुल किता 2, कुल रकबा 3.04 हैक्टर वाके ग्राम पचीपला में स्थित कृषि भूमि में निहित हिस्सा 2/3 का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2009 से बेचान किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2009 के पश्चात वाद विषयक आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के खातेदारी अधिकार धारा 54 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम व धारा 63 (4) आर.टी. एक्ट के तहत वादी के पक्ष में हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खडंन बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए गए। जिसके अभाव में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.8.2009 पूर्णतया विधि सम्मत होना प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर वादी का नाम वाद विषयक आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खतोनी संख्या नई–11, पुरानी 10 की कृषि भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा संख्या 376 रकबा 1.62 हैक्टर, कुल किता 2, कुल रकबा 3.04 हैक्टर वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में वादी को हिस्सा 2/3 का संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनादाजी न तो स्वय करें और न किसी अन्य प्रतिनिधि से कराये । तदनानुसार पर्चा डिग्री जारी हो।

निर्णये लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

F.D. ड़िगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री गोरधनलाल मीणा R.A.S.

1 सतपाल आत्मज रघुनाथ जाति जाट निवासी 198 गांव सनोट नरेला दिल्ली

वादी

बनाम 1 राधेश्याम आत्मज चतुर्भुज जाति कीर निवासी ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी वगैरह P.T.O.

दावा बाबत 88, 89, 188 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 69/दावा/2014 सन

व हाजिरी यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री आरिफ अली एड. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि खतौनी सं. 10 पुरानी 11 नई जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ में वर्णित खसरा सं. 312 रकबा 1.42 हे. खसरा सं. 376 रकबा 1.62 हेक्टर किता-2 योग रकबा 3.04 हेक्टर पर हिस्सा 2/3 का वादी को संयुक्त कृषक खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिया जाता है साबती

P.T.O.

खर्चा इन निज मुबलिग बाबत फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-8-2019 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को उक्त स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे और न किसी अन्य प्रतिनिधि से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2. नारायण आत्मज चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
3. छोटूलाल आत्मज चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
4. मुकेश आत्मज चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
5. मन्जुबाई पुत्री चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
6. राजेशबाई पुत्री चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
7. भूलीबाई बेवा चतुर्भुज जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
8. कल्याण आत्मज छीतर जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
9. छोटूलाल आत्मज छीतर जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
10. मथुरा आत्मज चमना जाति कीर निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
11. बैंक आफ बड़ौदा शाखा लाखेरी जरिये शाखा प्रबन्धक लाखेरी
12. उपपंजीयक उप तहसील लाखेरी
13. श्रीमान जिला कलक्टर बून्दी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

---------प्रतिवादीगण---------

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी